राजस्व विभाग

दिनांक 24 फरवरी, 1984

सं० 245-र-3-84/5188.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् गांव रादौर, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में उप तहसील के कार्यालय के निर्माण के लिए सरकार को तुरन्त अपेक्षित हैं, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु तुरन्त अपेक्षित है ।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो ।

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा इस समय कार्य में लगे सभी अधिकारियों को, उनके सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

आगे चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अर्थों में अत्यन्त महत्व की है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबन्ध इस पर लागू होते हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण उप मण्डल अधिकारी (सिविल) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, थानेसर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

विशिष्टि

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव तथा हदबस्त नं०	आयत सं०/ खसरा सं०	क्षेत्रफल		
				एकड़	कनाल	मरले
कुरुक्षेत्र	थानेसर	रादौर, 45	1004/2	0	5	3
			1005/2	0	0	6
			1006/2	0	0	8
			1010	0	4	5
			1010/1	0	0	1
			1011	0	0	15
			1011/1	0	0	2
			1007/2	0	0	8
			1014	0	1	13
			1015	0	4	16
			1016	0	1	11
			1011/2	0	0	12
			1012	0	7	11
			1013	0	0	11
			1017	0	6	12
		जोड़	15	4	2	14

एन० सी० गुप्ता,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

REVENUE DEPARTMENT

The 24th February, 1984

No. 245-R-III-84/5188.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that land described in the specifications below is needed urgently by the Government, at public expense, for a public purpose, namely, for the construction of sub-tahsil office in village Radaur, tahsil Thanesar, district Kurukshetra, it is hereby notified that the land described in the specifications below is needed urgently for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, for the information of all to whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the officers with their servants and workmen, for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey any land in locality and do all other acts required or permitted by that section.

Further, whereas the Governor of Haryana is satisfied that the aforesaid purpose for which the land is required is of an urgent importance within the meaning of clause (c) of sub-section (2) of section 17 of the said Act, and whereas the Governor of Haryana is of the opinion that the provisions of sub-section (2) of the said section are thus applicable, it is hereby directed under sub-section (4) of section 17 of the said Act, that the provisions of section 5-A of the said Act, shall not apply in regard to this acquisition.

Plans of the land may be inspected in the office of Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Collector, Thanesar.

SPECIFICATION

District	Tehsil	Locality/ Village & Hadbast No.	Rect. No./ Khasra No.	Area		
				A	K	M
Kurukshetra	Thansar	Radaur, 45	1004/2	0	5	3
			1005/2	0	0	6
			1006/2	0	0	8
			1010	0	4	5
			1010/1	0	0	1
			1011	0	0	15
			1011/1	0	0	2
			1007/2	0	0	8
			1014	0	1	13
			1015	0	4	16
			1016	0	1	11

District	Tehsil	Locality/ Village & Hadbast No.	Rect. No./ Khasra No.	Area		
				A	K	M
Kurukshetra	Thanesar	Radaur, 45—*concld*	1011/2	0	0	12
			1012	0	7	11
			1013	0	0	11
			1017	0	6	12
			Total 15	4	2	14

L. C. GUPTA,
Financial Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Revenue Department.

राजस्व विभाग

दिनांक 27 फरवरी, 1984

सं० 818-र-3-84/5373.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् गांव रादौर, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में उप तहसील कार्यालय के भवन बनाने हेतु अपेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्या 245-र-3-84/5188, दिनांक 24 फरवरी, 1984 प्रकाशित की गई है, इसलिए इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिसूचना, 1894, की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण उप-मण्डल अधिकारी (सिविल) एवं भूमि अर्जन कलक्टर, थानेसर के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव तथा हदबस्त सं०	आयत सं०/ खसरा सं०	क्षेत्रफल		
				एकड़	कनाल	मरले
कुरुक्षेत्र	थानेसर	रादौर, 45	1004/2	0	5	3
			1005/2	0	0	6
			1006/2	0	0	8
			1010	0	4	5
			1010/1	0	0	1
			1011	0	0	15
			1011/2	0	0	2
			1007/2	0	0	8

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/गांव तथा हदबस्त नं०	आयत सं०/ खसरा सं०	क्षेत्र फल
कुरुक्षेत्र —समाप्त	थानेसर—समाप्त	राडौर,	1014	0 1 13
		45—समाप्त	1015	0 4 16
			1016	0 1 11
			1011/2	0 0 12
			1012	0 7 11
			1013	0 0 11
			1017	0 6 12
		जोड़	15	4 2 14

एल. सी. गुप्ता,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

REVENUE DEPARTMENT

The 27th February, 1984

No. 818-R-III-84/5373.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the specifications below is needed urgently by the Government, at public expense for a public purpose, namely, for the construction of sub-tahsil office in village Radaur, tehsil Thanesar, district Kurukshetra, for which Haryana Government, Revenue Department, Notification No. 245-R-III-84/5188, dated 24th February, 1984, under section 4 read with clause (c) of sub-section (2) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, has been published, it is hereby declared that the land described in the specifications below is needed urgenly for the above purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, for the information of all to whom it may concern.

Plans of the land may be inspected in the office of the Sub-Divisional Officer (Civil)-cum-Land Acquisition Collector, Thanesar.

SPECIFICATIONS

District	Tehsil	Locality/ Village & Hadbast No.	Rect. No./ Khasra No.	Area A.	K.	M.
Kurukshetra	Thanesar	Radaur, H. B. No. 45	1004	0	5	3
			2			
			1005	0	0	6
			2			
			1006	0	0	8
			2			

District	Tehsil	Locality/ Village & Hadbast No.	Rect. No./ Khasra No.	Area A.	K.	M.
Kurukshetra—*concld*	Thanesar—*concld*	Radaur, H. B. No. 45—*concld*	1010	0	4	5
			1010/1	0	0	1
			1011	0	0	15
			1011/1	0	0	2
			1007/2	0	0	8
			1014	0	1	13
			1015	0	4	16
			1016	0	1	11
			1011/2	0	0	12
			1012	0	7	11
			1013	0	0	11
			1017	0	6	12
		Total	15		2	14

L. C. GUPTA,
Financial Commissioner and
Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

आवास विभाग

दिनांक 3 फरवरी, 1984

क्रमांक 1/12/82-4 आवास.—हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971, की धारा 2 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और हरियाणा सरकार, आवास विभाग अधिसूचना सं० का० आ० 246/हं अधि. 20/71/वा 2/81, दिनांक 13 नवम्बर, 1981, का अधिक्रमण करते हुए और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में वर्णित व्यक्तियों को, खाना 3 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय VI के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करते है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	व्यक्ति	क्षेत्र
1	सम्पदा प्रबन्धक-I, आवास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला ।	आवास बोर्ड कालोनियां, सैक्टर 6, 8, 15, 18 पंचकूला और कालका ।

क्रम संख्या	व्यक्ति	क्षेत्र
2	सम्पदा प्रबन्धक-II, आवास बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला ।	आवास बोर्ड कालोनियां, सैक्टर 11, 10, 19 पंचकूला ।
3	सम्पदा प्रबन्धक, आवास बोर्ड, हरियाणा, अम्बाला छावनी ।	आवास बोर्ड कालोनियां, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, यमुनानगर, चीका तथा कैथल ।
4	सम्पदा प्रबन्धक, आवास बोर्ड, हरियाणा, पानीपत ।	आवास बोर्ड, हरियाणा कालोनियां, पानीपत तथा सोनीपत ।
5	सम्पदा प्रबन्धक, आवास बोर्ड, हरियाणा, हिसार ।	आवास बोर्ड हरियाणा कालोनियां भिवानी, रोहतक, हिसार, सिरसा और मण्डी आदमपुर ।
6	सम्पदा प्रबन्धक, आवास बोर्ड, हरियाणा, करनाल ।	आवास बोर्ड कालोनियां करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद तथा मधुबन ।
7	सम्पदा प्रबन्धक, आवास बोर्ड, हरियाणा, सैक्टर 18, फरीदाबाद ।	आवास बोर्ड कालोनियां, सैक्टर 18, 28 और सैक्टर 29, फारीदाबाद ।
8	सम्पदा प्रबन्धक, आवास बोर्ड, हरियाणा, सैक्टर 23, फरीदाबाद ।	आवास बोर्ड कालोनियां, सैक्टर 22, 23, फरीदाबाद, नूह तथा हथीन ।
9	सम्पदा प्रबन्धक, आवास बोर्ड, हरियाणा, सैक्टर 7, फरीदाबाद ।	आवास बोर्ड कालोनियां, सैक्टर 7, 10 फरीदाबाद, गुडगावां तथा रिवाडी ।

अशोक पाहवा,

सचिव, हरियाणा सरकार,
आवास विभाग ।

HOUSING DEPARTMENT

The 3rd February, 1984

No. 1/12/82-4Hg.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 2 of the Haryana Housing Board Act, 1971, and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of Haryana Government, Housing Department, notification No. S. O. 246/H. A. 20/71/52/81, dated the 13th November, 1981, the Governor of Haryana hereby authorises the persons mentioned in column 2 of the Schedule given below to perform the functions of the competent authority under Chapter VI of the said Act for the area specified against each in column 3 thereof: —

SCHEDULE

Serial Number	Person	Areas
1	Estate Manager-I, Housing Board, Haryana, Panchkula	Housing Board Colonies in Sector 6, 8, 15, 18, Panchkula and Kalka.
2	Estate Manager-II, Housing Board, Haryana, Panchkula	Housing Board Colonies in Sector 11, 10, 19 at Panchkula

Serial No.	Person	Areas
3.	Estate Manager, Housing Board, Haryana, Ambala Cantt.	Housing Board Colonies, Ambala City, Ambala Cantt, Yamuna Nagar, Cheeka and Kaithal.
4.	Estate Manager, Housing Board Haryana, Panipot.	Housing Board Colonies, Panipat and Sonipat.
5.	Estate Manager, Housing Board Haryana, Hissar.	Housing Board Colonies Bhiwani, Rohtak, Hissar, Sirsa and Mandi-Adampur.
6.	Estate Manager, Housing Board Haryana, Karnal.	Housing Board Colonies, Karnal, Kurukshetra, Jind and Madhuban.
7.	Estate Manager, Housing Board Haryana, Sector 18, Faridabad.	Housing Board Colonies Sectors 18, 28 and 29 Faridabad.
8.	Estate Manager, Housing Board Haryana, Sector 23, Faridabad.	Housing Board Colonies, Sectors 22, 23 Faridabad, Nuh and Hathin.
9.	Estate Manager, Housing Board Haryana, Sector 7, Faridabad.	Housing Board Colonies, Sectors 7, 10 Faridabad, Gurgaon and Rewari.

ASHOK PAHWA,
Secretary to Government, Haryana,
Housing Department.

श्रम विभाग

आदेश

20 फरवरी, 1984

सं. औ.वि./अम्बाला/26-84/6976.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. दी अम्बाला प्राईमरी कोआपरेटिव डिवैलपमैंटबैंक लि०, अम्बाला, के श्रमिक श्री सिकन्दर लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11246, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सिकन्दर लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. औ.वि./रोहतक/11-84/6982.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैनेजिंग डायरैक्टर, दी रोहतक सैन्ट्रल को० ओ० बैंक लि०, रोहतक, के श्रमिक श्री बदम सिंह धनकर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच उसमें इसके वाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक

नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री कदम सिंह धनकर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० औ.वि./हिसार/1-84/6988.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हिसार टैक्सटाईल मिल, हिसार, के श्रमिक श्री सुरेश चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुरेश चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. औ.वि./हिसार/78-83/6995.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरियाणा राज्य लघु सिंचाई ट्यूबवैल कारपोरेशन, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री ज्ञान चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ज्ञान चन्द की सेवाओं का सामापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० औ.वि./सोनीपत/5-84/7002.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० महेश वुड प्रोडक्टस प्राईवेट लि०, खेवड़ा रोड, बहालगढ़, सोनीपत, के श्रमिक श्री प्रेम सुख तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री प्रेम सुख की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?